संख्या-570/2018/713/22-2-2018-17(146)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 04 अगस्त, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामदेव पुत्र श्री रामपाल निवासी जनपद-फैजाबाद वर्तमान जनपद-सुल्तानपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16946/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-02.05.2017) दिनांक 09.05.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामदेव पुत्र श्री रामपाल, जो-ग्राम-वृन्दबन एच0ओ0-लक्ष्मनपुर ग्रन्ट, थाना-बीकापुर, जनपद-फैजाबाद मूल पता-जगराज मिश्र का पुरवा, एच0ओ0-रामनगर, थाना-कूडेभार, जनपद-सुल्तानपुर का रहने वाला है। बन्दी जमीन विवाद में 01 माह के अन्दर वादी के परिवार को समाप्त करने की धमकी दी थी। दिनांक 16.09.2001 को अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गडासे से काटकर निर्दयतापूर्वक 06 लोगों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-38/02 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश(कोर्ट सं0-9), फैजाबाद के आदेश दिनांक 22.08.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.04.2017 तक 15 वर्ष 05 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 09 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 06 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 सहअभियुक्त फरार है, 01 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा तथा 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी जमीन विवाद में 01 माह के अन्दर वादी के परिवार को समाप्त करने की धमकी दी थी। दिनांक 16.09.2001 को अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गडासे से काटकर निर्दयतापूर्वक 06 लोगों की हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामदेव पुत्र श्री रामपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामदेव (बन्दी संख्या-46978) पुत्र श्री रामपाल निवासी जनपद-फैजाबाद वर्तमान जनपद-सुल्तानपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-570/2018/713(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-570/2018/713/22-2-2018-17(146)/2018

दिनांक 04 अगस्त, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामदेव पुत्र श्री रामपाल, जो-ग्राम-वृन्दबन एच0ओ0-लक्ष्मनपुर ग्रन्ट, थाना-बीकापुर, जनपद-फैजाबाद मूल पता-जगराज मिश्र का पुरवा, एच0ओ0-रामनगर, थाना-कूडेभार, जनपद-सुल्तानपुर का रहने वाला है। बन्दी जमीन विवाद में 01 माह के अन्दर वादी के परिवार को समाप्त करने की धमकी दी थी। दिनांक 16.09.2001 को अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गडासे से काटकर निर्दयतापूर्वक 06 लोगों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-38/02 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश(कोर्ट सं0-9), फैजाबाद के आदेश दिनांक 22.08.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.04.2017 तक 15 वर्ष 05 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 09 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 06 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 सहअभियुक्त फरार है, 01 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा तथा 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी जमीन विवाद में 01 माह के अन्दर वादी के परिवार को समाप्त करने की धमकी दी थी। दिनांक 16.09.2001 को अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गडासे से काटकर निर्दयतापूर्वक 06 लोगों की हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामदेव पुत्र श्री रामपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in